न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
परिवाद संख्या–32/2020
CNRNo.UPBR-01-009453-2020
श्रीमती शीतल बनाम चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल

22.11.2022

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी को तलब किये जाने के बिन्दु पर 11.11.2022 को सुना जा चुका है।

उपरोक्त परिवाद मूल रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 28.10.2020 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र/परिवाद परिवादिनी श्रीमती शीतल ने विपक्षी चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया है कि वादिनी अनुसूचित जाति की महिला है, उसके पति राजवीर की नौकरी सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले वर्ष जुलाई में नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में संविदा के तौर पर अस्थायी रूप से लगी थी, उसके पति ने शुरू में एक माह कार्य किया, उसके पश्चात् वहॉ के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल जी ने उसके पति को यह कहते हुए नौकरी से हटा दिया गया कि हम आपको आने वाले समय में संविदा के तौर पर स्थायी रूप से सफाई कर्मचारी के पद पर शासन से आदेश कराकर रख लेंगे, तब से वह व उसके पति चेयरमैन के यहॉ चक्कर काट रहे है। आज तक न तो चेयरमैन ने एक माह के काम के पैसे दिये और न ही उसके पति की नौकरी लगवायी। दिनांक 20.08.2020 की शाम को वह चेयरमैन के घर गयी थी तो चेयरमैन घर पर अकेले थे, उनके घर के अन्य सदस्य कहीं पार्टी में गये हुए थे, उसने चेयरमैन से अपने पति की नौकरी के सम्बंध में बात की तो उन्होंने उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गालियां दी कि भंगनिया यहॉ से भाग जा। उसने विरोध किया तो उन्होंने लात घूँसों से उसके साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिये और उसके बाल पकड़कर उसे गिरा लिया और उसके साथ बुरा काम करने की कोशिश की, जैसे तैसे वह उनके चंगुल से छूटी। चेयरमैन ने कहा कि यहॉ से भाग जा नहीं तो तुझे जान से मार दूॅगा। वह उक्त घटना के सम्बंध में अपनी रिपोर्ट लिखाने थाने गयी तो थाने वालों ने उसको डांटकर भगा दिया। उसने घटना की लिखित शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवाद के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को परीक्षित कराया गया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जांच के अधीन पी0डब्लू0–1 गुलाम साबिर, पी0डब्लू0–2 संदीप श्रीवास्तव एवं पी0डब्लू0–3 राजवीर कों परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2020 की प्रति, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2020 की प्रति, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2020 की प्रति, मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2020 की प्रति, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2020 की प्रति, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2020 की प्रति, डी0आई0जी0 बरेली जोन बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.08.2020 की प्रति, मूल डाक रसीदें, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति व आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में परिवाद के कथनों का समर्थन किया है तथा उसके साक्षीगण पी0डब्लू0–1 गुलाम साबिर, पी0डब्लू0–2 संदीप श्रीवास्तव एवं पी0डब्लू0–3 राजवीर ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षी चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध धारा 323, 354, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) द, ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत बनता प्रतीत होता है। अतः विपक्षी चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल उपरोक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल को धारा 323,354,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) द, ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अंदर 7 दिन करे तथा सूची गवाहान प्रस्तुत करे। बाद प्रस्तुत होने सूची गवाहान अभियुक्त के विरूद्ध समन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक **22.12.2022** को पेश हो।

(अंगद प्रसाद II)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली
जे0ओ0कोड यू0पी0–5941

Digitally signed by Angad Prasad II
Date: 2022.11.22 18:18:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court